न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 01/2019 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये रवि जाधव प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा — बनाम —

1. रामस्वरूप सुवालका पुत्र मोहन लाल सुवालका निवासी गेता पारोली तहसील कोटडी मालिक जोगणिया जनरल स्टोर, कोटा रोड, कुडी चौराया तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. भंवरलाल पुत्र बालूलाल सुवालका निवासी गेता पारोली तहसील कोटडी कार्मिक जोगणिया जनरल स्टोर, कोटा रोड, कुडी चौराया तहसील कोटडी भीलवाडा

–प्रार्थी –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –
1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी सं. 01 के अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 30.08.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के आदेशानुसार दिनांक 10.01.2019 को जोगणिया जनरल स्टोर, कोटा रोड, कुडी चौराया तहसील कोटडी का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर कोई नही मिला किन्तु 11 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम वाले एवं गैस रिफिलिंग मशीन मय रेगूलेटर, पाईप, लाईट वायर व गैस किट के अवैध भण्डारण पाया गया। पडौस में पूछताछ करने पर पूर्व सरपंच पारोली कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि उक्त दुकान रामस्वरूप सुवालका निवासी गेता पारोली तहसील कोटडी की है। इससे स्पष्ट होता हैं कि विपक्षी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहनों में अवैध रूप से रिफलिंग की जाकर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता हैं। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना पाया गया। अतः वजह सबूत आरोपी से 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस रिफलिंग मशीन मय रेगूलेटर, पाईप, लाईट वायर व गैस किट जब्त सरकार किया जाकर महावीर भारत गैस ग्रामीण वितरण सवाईपुर के मैनेजर श्री दीपक कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र सुवालका निवासी सातोला का खेडा तहसील

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

कोटडी को सुपुर्दगी में दिये गये। अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस रिफलिंग मशीन मय रेगूलेटर, पाईप, लाईट वायर व गैस किट को राजसात करने का आदेश किया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.02.2019 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 12.04.2019 को जवाब पेश किया गया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी भीलवाडा के आदेशानुसार दिनांक 10.01.2019 को जोगणिया जनरल स्टोर, कोटा रोड, कुडी चौराया तहसील कोटडी का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर कोई नही मिला किन्तु 11 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम वाले एवं गैस रिफिलिंग मशीन मय रेगूलेटर, पाईप, लाईट वायर व गैस किट के अवैध भण्डारण पाया गया। पडौस में पूछताछ करने पर पूर्व सरपंच पारोली कैलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि उक्त दुकान रामस्वरूप सुवालका निवासी गेता पारोली तहसील कोटडी की है। इससे स्पष्ट होता हैं कि विपक्षी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से वाहनों में अवैध रूप से रिफलिंग की जाकर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जाता हैं। इस प्रकार विपक्षी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना पाया गया। अतः वजह सबूत आरोपी से 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस रिफलिंग मशीन मय रेगूलेटर, पाईप, लाईट वायर व गैस किट जब्त सरकार किया जाकर महावीर भारत गैस ग्रामीण वितरण सवाईपुर के मैनेजर श्री दीपक कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र सुवालका निवासी सातोला का खेडा तहसील कोटडी को सुपुर्दगी में दिये गये। निवेदन हैं कि जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस रिफलिंग मशीन मय रेगूलेटर, पाईप, लाईट वायर व गैस किट को राजसात करने का आदेश किया जावे।

विपक्षी ने जवाब में अंकन किया कि जब्तशुदा सिलेण्डर उपभोक्ताओं के थे। विपक्षी की गैस ऐजेन्सी भारत गैस वितरक सवाईपुर कोटडी में हैं जो गेता पारोली से 11 किलोमीटर दूर हैं। इसलिए उपभोक्ता के गैस सिलेण्डर गोदाम से भरकर दुकान पर लाता हैं एवं मजदूरी के रूप में 10–20 रूपये मेहनताना प्राप्त करता है। मौके पर पम्प मशीन मिली वह विपक्षी की नही होकर सत्यनारायण शर्मा ग्राम गेगा का खेडा तहसील कोटडी की है, जिसे रिपेयरिंग हेतु भेजा गया था। निवेदन हैं कि जब्तशुदा 11 गैस सिलेण्डर व पम्प सेट वापस दिलाने की कृपा करावें एवं प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका पर हस्ताक्षर किये एवं गैस रिफलिंग का जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से वाहनों में घरेलू गैस की रिफलिंग का कार्य किया जाकर एल.पी.जी. आर्डर 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस रिफलिंग मशीन मय रेगूलेटर, पाईप, लाईट वायर व गैस किट को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस रिफलिंग मशीन मय रेगूलेटर, पाईप, लाईट वायर व गैस किट को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा 11 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस रिफलिंग मशीन मय रेगूलेटर, पाईप, लाईट वायर व गैस किट का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा